परिषद ठियोग, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2013 से 03/2015

भाग—एक

1. (क) प्रारम्भिक

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः1—376/81—फिन (एल0ए0) खण्ड—iv, दिनांक 16—10—2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौपें जाने के दृष्टिगत नगर परिषद, ठियोग, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न प्रधान व कार्यकारी अधिकारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे।

प्रधानः—

क0सं0	प्रधान का नाम	तैनाती की अवधि
1.	श्री हेम राज वर्मा	01—04—2013 से 31—03—2015

कार्यकारी अधिकारी

1.	श्री राकेश कुमार	नायब तहसीलदार	01—04—13 से 07—03—14
2.	श्री जे0आर0 भारद्वाज	तहसीलदार	17—04—14 से 05—12—14
3.	श्रीमति कंचन वाला	कार्यकारी अधिकारी	06—12—14 से 31—03—15

(ख) नगर परिषद ठियोग, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 01—04—2013 से 31—03—2015 तक के अंकेक्षण में पाई गई अनियमितताओं का संक्षिप्त सारः—

क0सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि
1.	दिनांक 31.3.2015 तक प्रतिभूति की शेष राशि को नगर परिषद निधि/ लेखों में न दर्शाना	6	23.24
2.	दिनांक 31—3—2015 तक अनुदान राशि व्यय हेतु शेष	7	121.91
3.	डी0ए0वी0 स्कूल के पास कार पार्किंग व सामुदायिक हाल के निर्माण कार्य पर निषफल व्यय	8	39.48

4.	4th State Finance Commission के अनुदान की राशि का पैन्शन एवं ग्रेच्यूटी फण्ड के लिए अनिमित स्थानान्त्रण करना	9	5.50
5.	पर्यटन विभाग से प्राप्त अनुदान से अनियमित व्यय	10	13.58
6.	स्थापना पर अनियमित व्यय	11	13.90
7.	दिनांक 31–03–15 तक गृह कर की वसूली शेष	12	83.74
8.	राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार गृह कर की दरों में वृद्धि न करने के कारण परिषद को वित्तीय वर्ष 2013–14 प 2014–15 के दोरान वित्तीय हानि	13	6.71
9.	दिनांक 31–3–15 तक दुकानदारों से किराये राशि की वसूली शेष	15	28.68
10.	व्यवसायिक परिसर नजदीक बस स्टैंड की दुकानों की लीज राशि की वसूली न करना	16	10.53
11.	नगर परिषद द्वारा (Compound Fees) की राशि की वसूली न करना	17	0.73
12.	पट्टे पर दी भूमि की पट्टा राशि की वसूली न करना	18	0.41
13.	मोबाइल कम्पनियों से टावरों की नवीनीकरण शुल्क की राशि की वसूली न करना	19	0.23
14.	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्यों में अतिरिक्त मदों का निष्पादन करवाने के कारण राशि का अनियमित भुगतान	21	0.94

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट–अ"** पर दर्शाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करें व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करें, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर परिषद ठियोग, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 4/2013 से 03/2015 तक का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 16–04–15 से दिनांक 22–7–2015 तक किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जांच के लिए क्रमशः माह 3/14, 3/15 व 12/13, 11/14 के लेखाओं का चयन किया गया। जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैरों में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। संस्था द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

नगर परिषद ठियोग के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2015 तक के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹42,000/– बनता है। जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **"परिशिष्ट–ख"** में दिया गया है। कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना सं0–15 दिनांक 22–07–15 द्वारा इस राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को शिमला में देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजने का अनुरोध किया गया।

4. वित्तिय स्थितिः–

अंकेक्षणाधीन अवधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से था। प्रस्तुत वित्तीय स्थिति नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई सूचना व रोकड़वही में दर्शाए गए आंकड़ों पर आधारित हैः–

वर्ष	आय का स्त्रोत	आरम्भिक शेष	आय	कुल आय	व्यय	अन्त शेष
2013–14	अपने स्त्रोत से	8764937.52	6177608	14942545.52	6884485.47	8058060.05
	अनुदान से	4522036.78	7304760	11826796.78	5945479	5881317.78
	कुल आय	**13296974**	**13482368**	**2676934.30**	**12829964**	**139393377.83**
2014–15	अपने स्त्रोत से	8058060.05	7572826	15930886.05	14059508.62	1871377.43
	अनुदान से	5881317.78	17907636	23788953.78	1159508	12191047.78
	कुल आय	**1,39,39,377.83**	**25780462**	**39719839**	**25657414**	**14062425.21**

4.1. दिनांक 31.3.2015 को विभिन्न बैंकों में जमा राशियों का विवरण निम्न प्रकार से था।

निधि का नाम	**बैंक का नाम एवं खाता संख्या**	**31.3.2015 को बैंक में जमा राशि जमा का ब्यौरा**
एम0सी0 फण्ड	एस0वी0आई0 (112867217263)	371130–50
आई0डी0एस0एम0टी	एस0बी0आई0 (11286721627)	208006–91
सरकारी अनुदान	एस0बी0आई0 (11286721990)	11667677–89
(एम0पी0 / एम0एल0ऐ **Misce** अनुदान)	स्टैट को–ओपरेटिव बैंक(6246)	3460–00
डिपोजिट एक्स्ट्रा	स्टैट को–ओपरेटिव बैंक (7472)	38662–00
Duties etc i.e Ligure etc.एम0आई0एस0सी / एस0डब्ल्यू0.......	एच0डी0एस0सी	706113–91
	सावधि योजना में राशियां	10,70,000.00
	कुल जोड़	**₹1,40,65,051–21**

4.2. बैंक समाधान विवराणिका

रोकड़वही के अनुसार 31.3.2015 को अन्त शेष — 14062425–21

जमाः–

निम्नलिखित चैक बैंक भुगतान के लिए जारी किए परन्तु बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुये।

बैंक का नाम	**बैंक सं0**	**दिनांक**	**राशि रूपये में**	
एस0बी0आई	422084	23.3.2015	**8231–00**	
एस0बी0आई	422087	23.3.2015	**5200–00**	
एस0बी0आई	422085	26.2.2015	**945–00**	
चैक सं0 422089 दिनांक 31.3.2015 राशि ₹54099 के विरूद्ध बैंक द्वारा राशि ₹45099 का भुगतान करने के कारण कम भुगतान की गई राशि			**₹9000–00**	
		कुल जोड़	**₹23376–00**	**₹23376–00**
				₹1,40,85,801–21

घटावः– प्राप्त राशियां जो 31.3.2015 तक बैंक में जमा नहीं करवाई गई

मद	**रसीद स0**	**राशि**	
सेवा कर	1 / 58 / 30.03.15	667.00	**(–) ₹20750–00**
किराया	50 / 51 / 30.03.15	17800.00	
सेवा कर	43 / 54 / 30.03.15	2200.00	

सेवा कर	44 / 54 / 30.03.15	83.00
	कुल जोड	**₹20750.00**

अन्तशेष ₹1,40,65,051.21

5. सावधि योजनाः–

अवधि– 31.03.2015 तक सावधि योजना के अन्तर्गत निवेशित राशियों का ब्यौरा निम्नलिखित था।

क0 स0	एफ0डी0आर0 सं0	राशि (₹) में	अवधि	ब्याज प्रतिशत	परिपक्व राशि ₹ में
1.	TDA-CIF- 81045330967 Act no. 33354873886	10,00,000	11.4.2014 से 11.4.2015	9%	1093083.00
2.	TDA-8104633034-1 CIF No. A/c no 3037130827	70,000.00	31.10.2014 से 31.10.2017	8.75%	90755.00

इन राशियों पर अर्जित ब्याज को परिपक्व तिथि को रोकड़ वही में लेखांकित करना सुनिश्चित किया जाए और आगामी अंकेक्षण के समय परिपक्व राशि का सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6. दिनांक 31.03.2015 को प्रतिभूति की शेष राशि 23.24 लाख को परिषद लेखा में न दर्शानाः–

प्रतिभूति राशि का लेखा पृथक रोवड़ वही तैयार करके अलग से रखा गया था। उक्त लेखा की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2015 को इस खाते में ₹ 23,240,72–74 शेष थे जिसका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्तियां	कुल	व्यय	अन्त शेष
2013–14	1069646.74	685259.00	17,54,905.74	435344.00	1319561.74
2014–15	1319561.74	1748658.00	30,68,246.74	744174.00	23,24072.74

बैंकों में अन्तशेष का विवरणः–

खाता सं0	बैंक का नाम	दिनांक	अन्तशेष
44410104496	हि0प्र0 स्टैट को–ओपरेटिव बैंक, ठियोग	31–3–2015	13,24,072.74
	सावधि योजना में बकाया राशियों का ब्यौरा–31–3–2015 तक		
1049338	हि0प्र0 स्टैट को–ओपरेटिव बैंक, ठियोग	28–5–2016	2,70,000.00
10	हि0प्र0 स्टैट को–ओपरेटिव बैंक, ठियोग	17–06–2017	2,30,00.00

1806294	हि0प्र0 स्टैट को–ओपरेटिव बैंक, ठियोग	11–04–2018	2,00,000.00
1289668	हि0प्र0 स्टैट को–ओपरेटिव बैंक, ठियोग	11–06–2016	3,00,000.00

31–3–2015 तक अन्त शेष : ₹23,24,072.00

इसके अतिरिक्त जांच करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा प्रतिभूति लेखा रजिस्टर (फार्म जी–25) तैयार नहीं किया गया था। इस विषय में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरों में बार–बार आपत्ति उठाई गई थी। यह मामला परिषद के उच्च अधिकारी के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

7. अनुदानः–

दिनांक 31–03–2015 तक अनुदान की राशि 121.91 लाख व्यय हेतु शेष :–

नगर परिषद ठियोग द्वारा अंकेक्षण अवधि 1–04–2013 से 31–03–2015 के दौरान प्राप्त/व्यय तथा 31–03–2015 तक शेष अनुदानों का शीर्षवार विवरण **"परिशिष्ट–ग–एक से ग–तीन"** पर दर्शाया गया है। 31–03–2015 तक विभिन्न शीर्षों के अर्न्तगत व्यय हेतु शेष बचे अनुदानों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क0सं0	अनुदान का नाम	31–03–2015 तक बकाया राशि का रूपये में ब्यौरा
1.	3rd\4th SFC.	59777.00
2.	13th Finace Commission	1344055.00
3.	Grant under SJSRY	3000.00
4.	Grant under Tourisum	241838.00
5.	M.P LAD fund	179823.00
6.	Misc grant/M/OULB road	1617.31
7.	Grant/Amt received on A/C of compensation form the I.P.H. Deptt.	333937.00
8.	Severage Scheeme	1,00,00,000.00
	कुल बकाया :	**₹1,21,91,047–31**

वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 की अनुदान विवरणिका के अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष 2013–14 में नगर परिषद को राशि ₹73.05 लाख तथा वर्ष 2014–15 में राशि ₹179.08 लाख अनुदान के रूप में प्राप्त हुये, जिसमें से नगर परिषद ने वर्ष 2013–14 में केवल 59.45 लाख तथा वर्ष 2014–15 में 115.98 लाख विभिन्न प्रयोजनाओं पर खर्च किये। जिसके फलस्वरूप दिनांक 31–03–2015 तक अनुदान राशि 121.91 लाख व्यय हेतु शेष थी।

अतः अनुदान की शेष राशि को सक्षम अधिकारी को स्वीकृति से विशेष उदेश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा शेष राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए।

8. डी0ए0वी0 स्कूल के पास कार पार्किंग व सामुदायिक हाल के निर्माण कार्य पर राशि ₹39.48 लाख का निषफल व्ययः–

नगर परिषद ठियोग द्वारा डी0ए0वी स्कूल के पास कार पार्किंग, कारपेटिंग तथा कम्यूनिटी हॉल के निर्माण को प्रस्ताव संख्या 28/2012 दिनांक 20–05–2012 को स्वीकृत किया गया। उक्त प्रस्ताव के अर्न्तगत इस कार्य के अनुमान राशि ₹4951707 की तकनीकी स्वीकृति अधिशाषी अभियन्ता एच0पी0एस0आई0डी0सी Ltd शिमला द्वारा प्राप्त की गई। तदोपरान्त सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके उक्त निर्माण कार्य श्री रमेश हेटा संविदाकार को पत्र संख्या MCT/works/2013/17 दिनांक 05–04–2013 द्वारा राशि ₹4171187.00 के लिए आवंटित कर दिया। आवंटन पत्र के अनुसार यह कार्य छह महिनों में पूरा किया जाना था।

अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य अभी तक भी पूर्ण नहीं किया गया था, जबकि कार्य आवंटित किए हुए लगभग 27 महीने का समय बीत चुका है। सविदाकार को M.B संख्या 66 Page 09 के अनुसार द्वितीय चलत बिल की राशि ₹39,47,985 का भुगतान किया जा चुका था। परिषद द्वारा सविदाकार के पक्ष में कार्य पूर्ण करने के लिए निर्धारित अवधि में न तो बढ़ोतरी स्वीकृत की गई थी और न ही अनुबन्ध की धारा दो के अनुसार सविदाकार के विरुद्ध उचित कार्रवाई अमल में लाई गई थी। अतः कार्य निधारित समय में पूर्ण न करवाने के फलस्वरूप निर्माण कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतय निषफल था। अतः निर्माण कार्य को समय पर पूर्ण न होने के कारणों से अवगत करवाते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाना सुनिश्चित किया जाए।

9. 4th State Finance commission के अनुदान राशि से ₹5.50 लाख का पैंशन एवं ग्रैच्यूटी फण्ड के लिए अनियमित स्थानान्तरित करनाः–

4th State Finance commission की शर्तों के अनुसार स्वीकृत अनुदान राशि को शहर की सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट, प्रधान, उपप्रधान तथा सदस्यों के मानदेय भुगतान, कर्मचारियों के कुल प्रतिशतता के वेतन का भुगतान तथा Assests Creation आदि पर व्यय किया जा सकता था।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में 4th State Finance commission से प्राप्त अनुदान से राशि ₹5,50,000 का भुगतान पैंशन एवं ग्रैच्यूटी फण्ड में किया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वाऊचर सं0	दिनांक	राशि रूपये में
95	2—5—14	2,00,000.00
411	27—9—14	2,00,000.00
834	7—3—15	1,50,000.00
		₹5,50,000.00

अतः 4th SFC के अनुदान से राशि ₹ 5.50 लाख का स्थानान्तरण Pension & Graduity Fund में करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अनियमित भुगतान की भरपाई नगर परिषद उचित स्त्रोत से करके 4th SFC अनुदान में जमा करें और अनुदान को उसी उदेश्य के लिए खर्च करें, जिस उदेश्य हेतु प्राप्त हुआ है। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10. पर्यटन विभाग से प्राप्त अनुदान राशि से ₹13.58 लाख का अनियमित व्ययः—

पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार से नगर परिषद ठियोग को Development of solid waste management के लिए राशि 20 लाख स्वीकृत की गई। इस स्वीकृति के अर्न्तगत नगर परिषद को पत्र संख्या 6—5/2009—050—SML-1813 दिनांक 10—2—11 द्वारा राशि 6 लाख तथा पत्र संख्या 6—36/2012—050— SML-2007 दिनांक 21—2—13 द्वारा 10 लाख कुल राशि ₹16.00 लाख प्राप्त हुए। अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद ठियोग द्वारा प्राप्त अनुदान को अन्य उदेश्यों पर निम्न प्रकार खर्च किया गया।

वाऊचर सं0 सं0/दिनांक	जिस पर अनुदान खर्च किया गया ब्यौरा	राशि रूपये में
286 से 288 दिनांक 6.9.2013	6 नं0 कूडादान की खरीद	1,50,128
336 से 338 दिनांक 14.10.2013	4 नं0 कूडादान की खरीद	1,00,085
568 दिनांक 13.11.2014	एक डम्पर पलेस्र Eicher	10,85,000
654 दिनांक 5.12.2014	वाहन की इनशोरेन्स	22,949
	कुल व्यय :	**₹13,58,162**

अतः पर्यटन विभाग से प्राप्त अनुदान को विहीत उदेश्य पर व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जायें तथा अनुदान से किये खर्च 13,58,162 की स्वीकृति पर्यटन विभाग से प्राप्त कर इस अनियमित खर्च को नियमित करवाया जाये अन्यथा अनुदान से किए व्यय की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके अनुदान में जमा की जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जायें। अनुदान से खरीद की गई सामग्री की प्रविष्टी पूर्ण ब्यौरा सहित संपत्ति रजिस्टर में की जानी अनिवार्य थी। जबकि नगर परिषद ठियोग द्वारा इस सामग्री की खरीद की प्रविष्टि

सम्पति रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई। अतः इस सामग्री की प्रविष्टी पूर्ण विवरण सहित सम्पति रजिस्टर में दर्ज करके आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

11. स्थापना पर राशि ₹13.90 अनियमित व्ययः–

हिमाचल प्रदेश मियुन्सिपल एक्ट 1994 के नियम 53(1)(c) में दिए प्रावधान के अनुसार व निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या–ULB-H(A)1/87-9237-84 दिनांक 20–6–2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाए वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय का एक तिहाई भाग ही संस्थापना पर खर्च कर सकती है।

नगर परिषद के अभिलेखों के टैस्ट चैक व उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2013–14 में कुल व्यय राशि ₹ 1,28,29,964 था और इस व्यय में स्थापना पर राशि ₹56,66,817 का व्यय किया, जबकि उपरोक्त नियम व निर्देशों के अनुसार संस्थापना पर राशि ₹42,76,655 का व्यय किया जाना था। इस प्रकार नगर परिषद द्वारा संस्थापना पर राशि ₹13,90,192 का अनियमित व्यय किया गया, जिसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

12. दिनांक 31–03–15 तक गृह कर की राशि ₹83.74 लाख वसूली हेतु शेषः–

नगर परिषद में गृहकर रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों व अंकेक्षण को दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–3–15 तक गृह कर की राशि ₹83,74,068 वसूली हेतु शेष थी। जिसका वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार से था।

वर्ष	पिछली बकाया राशि (₹ में)	वर्ष में मांग (₹ में)	कुल मांग (₹ में)	वसूली / प्राप्ति (₹ में)	शेष / बकाया (₹ में)
2013–14	8335568	1309542	9645150	1315943	8329207
2014–15	8329207	1376110	9705317	1331249	8374068

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट पता चलता है कि नगर परिषद द्वारा गृह कर की वसूली हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किये गये थे। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 3 दिनांक 8.6.2015 द्वारा गृहकर की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु अंकेक्षण पूर्ण होने तक इस सम्बन्ध में अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया। अतः नगर परिषद गृह कर की वसूली हेतु शीघ्र उचित कार्रवाई करे तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13. राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार गृहकर की दरों में वृद्धि न करने के कारण परिषद को वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 के दौरान राशि ₹6.71 लाख की वित्तीय हानिः–

राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों व निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला के पत्र संख्या यू0डी0–h (सी)/10(107)/98–11 दिनांक 17–11–2003 के अनुसार वर्ष 2002–03 से 7.5 प्रतिशत से गृहकर अधोरोपित करने व प्रति वर्ष गृहकर में एक प्रतिशत बढ़ौतरी करके वर्ष 2007–08 तक 12.5 प्रतिशत की दर से गृह कर वसूलना अपेक्षित था। उक्त पत्रानुसार वर्ष 2002–03 से वर्ष 2007–08 तक गृहकर की दर निम्न प्रकार अधिरोपित की जानी थी।

वर्ष	गृहकर की दर
2002–03	7.5%
2003–04	8.50%
2004–05	9.50%
2005–06	10.50%
2006–07	11.50%
2007–08 से 2014–15 तक	12.50%

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद ठियोग द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान 10 प्रतिशत की दर से गृहकर की वसूली की गई थी। जबकि निदेशक शहरी विकास के पत्र के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान 12.50 प्रतिशत के दर से गृहकर की वसूली की जानी थीं इस प्रकार परिषद को निम्न विवरणानुसार राशि ₹ 6,71,412 की वित्तीय हानि हुई। जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	गृहकर की 10% की दर से मांग	गृहकर की 12.50% की दर से मांग	जितना गृहकर में कम निर्धारण किया गया
2013–14	1309542	1636926	327384
2014–15	1376110	1720138	344028
	2685652	3357064	671412

अतः परिषद गृहकर का निर्धारण राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों व निदेशक शहरी विकास विभाग के उक्त पत्रानुसार न करने कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त निर्देशों का अनुपालना करना सुनिश्चित करें।

14. नगर परिषद द्वारा वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 नये भवनों के गृहकर का निर्धारण सरकार द्वारा निर्धारित दरों की अपेक्षा कम दर पर करने पर वित्तीय हानिः–

नगर परिषद के गृहकर निर्धारण से सम्बन्धित अभिलेखों के टैस्ट चैक के दौरान पाया गया कि वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 में नगर परिषद ठियोग ने जिन भवनों के गृहकर का निर्धारण 5% की दर से Self ocupred तथा 10% की दर से किराये पर दिये भवनों पर किया। जबकि निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार वर्ष 2007–08 से भवनों के गृहकर का निर्धारण 12.50% के आधार पर अधोरोपित किया जना था। अतः गृहकर को सरकार के निर्देशानुसार अधोरोपित न कर कम दरों पर अधोरापित करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

उक्त के अतिरिक्त गृहकर निर्धारण सम्बन्धित नस्ति के अभिलेखों में भवनों पर गृहकर अधोरोपित करने से पूर्व भवनों को जुर्माना फीस (Compound fees) लगाकर उसके पश्चात भवनों पर गृहकर अधोरोपित किया। परन्तु नस्ति में कोई भी ऐसे अभिलेख नहीं थे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता कि भवनों को किस वर्ष की दरों के आधार पर Compound fees जिससे Self occupied में किन वर्षों की दरों को लगाकर भवनों की Tax assesment निर्धारित की और उस पर 5% तथा 10% की दर से गृहकर अधोरोपित किया। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण के दौरान अधियाचना संख्या 5 दिनांक 15.7.2015 द्वारा वस्तुस्थिति तथा सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करने को कहा गया था परन्तु अंकेक्षण पूर्ण (Complete) होने तक इस बारे नगर परिषद द्वारा कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की और न ही इस सम्बन्ध में अभिलेख प्रस्तुत किये। अतः पूर्ण अभिलेखों को लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये और वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 में जिन भवनों का गृहकर सरकार द्वारा निर्धारित दरों से कम दर पर किया उन भवनों के गृहकर का निर्धारण संशोधित कर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर करें और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जायें। जिन भवनों के गृहकर ...... का निर्धारण वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 में कम किया गया है का विवरण निम्न प्रकार से है।

क0 सं0	भवन मालिक का नाम	Assesement Value	गृहकर दर % के आधार पर	गृहकर
1.	श्रीमति Anita kh 46/2, near D.A.V School, ward no-7 Theog Distt Shimla.	76140/-	5%	3,807
2.	Shri Prem singh, ward no-4 kh no-605/.	70994/-	5%	3,550/-
3.	Smt Sardha w/o late sh. P.S Kachi, ward no-4, kh no-26/3 Theog.	20,000/-	5%	1,000/-

4.	Sh. Dharam paul ward no-7 (Rohighat) theog	28,000/-	5%	1,400/-
5.	Sh. Dharam paul ward no-7 (Rahighat) Theog	24,500/-	5%	1,225/-
6.	Shri Surinder kumar S/o Sh. Balak Ram ward no-7 Rahighat Theog	87,500/-	5%	4,375/-
7.	Dr. Pawan kumar. Smt Nirmla Devi, ward no-7 Rahighat Theog	80,440/-	5%	4,028/-
8.	Smt Sarla D/o Sh. Keshav Ram, ward no-7 Theog	43,200/- Rent 18,100/- Self	10%	4,320/- 905/-
		61,300		5,225/-
9.	Smt Neetu Negi w/o Sh. Tanzin Dorjee, ward no-4 Theog	47,800/-	5%	2,390/-
10.	Sh. Suresh Kumar Sood, Sh. Yoginder lal Sood, ward no-6, kh. no-145 Theog Shimla.	68,630/- 27,000/-	5%	3,432/- 2,700/- 6,132/-
11.	Sh. Madan Singh Verma, ward no-2, kh. no-1090-91 Theog Shimla.	57,050/-	5%	2,855/-
12.	Sh. Raju Tomer S/o Sh. Parshad kh. no. 95300. ward no-7, kh. no-145 Theog Shimla.	21,600/-	10%	2,160/-
13.	Sh. Durga Singh, ward no-7, kh. no-70/20 Rahighat Theog Shimla.	27,500/-	5%	1,375/-
14.	Sh. Man Mohan Singh, S/o late Sh. Ganga Ram, ward no-1, kh. no-255 Theog.	10,800/-	10%	1,080/-
15.	Sh. Shashi Bala, W/o Sh. Raj Kumar ward no-7, kh. no-102/8015 Theog.	56,220/-	5%	2,811/-
16.	Sh. Anant Ram Verma, ward no-1, kh. no-499/34/2 Janadghat, Theog.	21,600/-	10%	2,160/-
17.	Sh. Hira Singh Kashyap, ward no-7, kh. no-233/2/1 Chaidhala, Theog.	16,600/-	5%	830/-

18.	Sh. Vijay Thakur, ward no-7, kh. no-48/26 Rahighat, Theog.	35,930/- 21,600/-	5%	1,800/- 2,160/-
				3,960/-
19.	Sh. Ramesh Verma, ward no-4, Shalli Bazar, Theog.	49,150/-	10%	2,458/-
20.	Sh. Dulla Ram S/o Sh. Mansa Ram, ward no-7, kh. no-899/2 Rahighat, Theog.	44,500/-	5%	2,225/-
21.	Sh. Vinod Kumar S/o Sh. Kishori lal Sood, kh. no-257/14/5, 257/14/1/3 & 257/14/2/1, Shalli Bazar, Theog.	59,948/- 27,000/-	10%	2,997/- 2,700/-
				5,697/-
22.	Sh. Tulshi Ram Bhardwaj ward no-4 Theog.	31,5900/-	10%	31,590/-
23.	Sh. Ashish Soni, kh. no-116&117, Mauja Chaidhala, Theog.	38,000/-	5%	1,900/-
24.	Sh. Surinder Kumar, kh. no-56,49/4,55/2&57/1, Shalli, Theog .	52,875/-	5%	2,644/-
25.	Sh. Durga Nand S/o late Sh. Dharam Dass kh. no-81/63, Theog .	46,455/-	5%	2,323/-
26.	Sh. Jagdish Rajta & Smt Smita Rajta, kh. no-425/1/4/1, ward no-1, Theog .	27,040/-	5%	1,352/-
27.	Sh. D.S Khachi & Sh. Amar Singh, Kh. no-51/2/3/1 and 51/2/1, Theog .	65,622/-	5%	3,281/-
28.	Sh. Dinesh Sharma Kh. no-989/899/1, Rahighat, Teh Theog .	59,856/-	5%	2,993/-
29.	Smt. Nirmla Sharma, Shalli Bazar, Theog Kh. no. 90/56	93,476/-	5%	4,674/-
30.	Sh. Jeet Ram Kachi, kh. no-126/1 and 124/1, ward no-2, Theog .	50,987/-	5%	2,549/-
31.	Sh. Deep Ram Sharma, Naya Bazar, Theog .	3,78,000/-	5%	18,900/-

32.	Sh. Prem Singh, ward no -4, kh. no-605/-, Theog .	64,187/-	5%	3,209/-
33.	Sh. Amit Verma & other ward no-7, Raighat, Theog .	1,52,000/-	5%	7,600/-
34.	Sh. Ajit Singh, kh. no-501/81/2/1 Premghat, Theog .	37,674/-	5%	1,884/-
35.	Sh. Jog Raj Verma, ward no-7, Chaidhala, kh. no-233/2/1 & 213/	40,880/-	5%	2,044/-
36.	Sh. Satish Kumar, Theog .	33,215/-	5%	1,661/-
37	श्री0 अमर सिंह सुपुत्र श्री नरायण सिंह, ward no-2, प्रेमघाट ठियोग जिला शिमला	44624/-	5%	2,213/-
38	Smt. Sunita Verma, Naya Bazar, Theog .	2531/-	5%	127/-
39	Smt. Geet Chandel w/o Sh. Mohinder Chandel, kh. no- 244, ward no-7, Theog	26,853/-	5%	1,343/-
40.	Sh. Prem Singh Chandel, ward no-4, Shariyana Road, Theog .	21622/-	5%	1,081/-
41.	Smt. Surekha, kh. no-1256, ward no-9 Shalli, Theog .	24861/-	5%	1,243/-
42.	Sh.Laiq Ram S/o Sh. Chet Ram, kh. no-452/81/3/2 Premghat, Theog .	91776/-	5%	4,589/-
43.	Sh. Joginder Singh S/o late sh. Narain Singh, vill Senj. P.O Mohag, Theog .	87339/-	5%	4,367/-

15. दिनांक 31—03—2015 तक दुकानों के किराय राशि ₹28.68 लाख वसूली हेतु शेषः—

अवधि 4/13 से 3/15 तक के किराये से सम्बन्धित मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31—03—2015 तक निम्न विवरणानुसार दुकानों के किराया राशि ₹ 28,67,803 वसूली हेतु शेष थी

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान किराये की मांग	कुल ₹ में	प्राप्ति	अग्रिम प्राप्ति	वर्ष के अन्त में बकाया किराया
2013—14	2537530	1069602	3607132	991953	0	2615169
2014—15	2615169	1202749	3817948	950115	435600	2867803

लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 2 दिनांक 3.6.15 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को किराए की शत–प्रतिशत वसूली न करने के बारे वस्तु स्थिति से लेखा परीक्षा को अवगत करवाने को कहा गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक परिषद से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा किराये की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी। जिसके फलस्वरूप किराये की बकाया राशि में प्रतिवर्ष बढ़ौतरी हो रही है। अतः नगर परिषद प्रशासन को परामर्श दिया जाता है कि किराये की बकाया वसूली हेतु H.P Municipal Act, 1994 में दिये प्रावधानों के अन्तर्गत ठोस कार्यवाही अमल में लाये, ताकि बकाया किराये की वसूली शीघ्र हो सके तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

16. व्यवसायिक परिसर नजदीक बस स्टैंड की दुकानों की लीज राशि ₹10.53ः लाख की वसूली न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा बस स्टैंड ठियोग के व्यवसायिक परिसर में निर्मित दुकानों को लीज अनुबन्ध के अन्तर्गत वार्षिक किराये पर किराएदारों को आंबटित किया गया है। वर्ष 12/2014 तक इन दुकानदारों से निम्न विवरणानुसार ₹10.53 लाख वसूली हेतु शेष थे। जिसका विवरण निम्न प्रकार से था।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	मांग	कुल	वसूली	अन्त शेष
2013	1162738	1292725	2455463	1251192	1204271
2014	1204271	1292725	2496996	1444058	1052938

अतः नगर परिषद के स्वामित्व वाली दुकानों के आबंटियों से वर्ष 2013 में ₹24,55,463 वसूल योग्य किराया था और नगर परिषद ने केवल 12,51,192 ही वसूल किए तथा वर्ष 2014 में कुल किराये राशि ₹24,96,996 में से ₹14,44,058 ही वसूल किए, जिससे यह स्पष्ट है कि नगर परिषद दुकानों के पट्टाधारियों से किराये की वसूली पट्टे में दी गई शर्तों तथा नगरपालिका अधिनियम में दी गई धाराओं के अन्तर्गत करने में विफल रहा। अतः कार्यकारी अधिकारी को सुझाव दिया जाता है कि पट्टेधारियों पर नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 258(1)ख(2) के अनुसार कार्रवाई करते हुए बकाया किराये की वसूली शीघ्र करना सुनिश्चित करे तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17. नगर परिषद द्वारा (Compound fees) की राशि ₹0.73 लाख की वसूली न करना

भवनों के Compound Cases से सम्बन्धित नस्ति की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा नियमित किए गए भवनों के मालिकों से राशि ₹105168 की वसूली नहीं की गई थी। इस सम्बन्ध में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, ठियोग को अंकेक्षण अधियाचना संख्या–4

दिनांक 9–6–15 द्वारा स्थिति से अवगत करवाया गया। अंकेक्षण के दौरान Compound Fee की राशि ₹32020/– की वसूली परिषद द्वारा की गई तथा शेष राशि जिसका विवरण निम्न प्रकार से था। अतः इस राशि की वसूली सम्बन्धित से करके शीघ्र नगर परिषद कोष में जमा की जाये। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया।

क्र0 सं0	मालिक का नाम व पत्ता	कम्पाऊड फीस की वसूली योग्य राशि	जितनी राशि की वसूली की गई	रसीद संख्या व दिनांक	बकाया
1.	श्रीमति अनिता खसरा नं0 46/12नजदीक डी0ए0वी0 स्कूल, ठियोग	16618	–	–	16618
2.	श्री प्रेम सिंह वार्ड नं0–4 खसरा नं0–4 605/1 ठियोग	27703	–	–	27703
3.	श्री अमित वर्मा और अन्य वार्ड नं0–7 रहीघाट, ठियोग	31227	2400	50/56 दिनांक 29–3–14	28827
		75548	**2400**	**–**	**73148**

18. पट्टा राशि ₹0.41 लाख की वसूली न करना :–

नगर परिषद ठियोग ने कई वर्ष पहले अपनी भूमि को पट्टेधारियों को पट्टे पर दिया तथा जिसकी वसूली पट्टेधारियों से पट्टे की शर्तों के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित थी, जबकि वर्ष 2014–15 तक पट्टेधारियों से निम्न विवरणानुसार पट्टे की बकाया राशि ₹41226 वसूल की जानी शेष थी।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	मांग	कुल	वसूली	अग्रिम वसूली	बकाया
2013–14	43974.00	47542.00	91516.00	50800.00	0	40716.00
2014–15	40716.00	47542.00	88258.00	47032.00	138.00	41226.00

उपरोक्त विवरणिका के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद केवल वर्ष के दौरान पट्टे राशि की मांग के लगभग वसूली कर रहा है और बकाया पट्टे की राशि की वसूली के लिए पट्टेधारियों के विरूद्ध कोई भी कारगर कार्रवाई नहीं कर रहा। अतः नगर परिषद द्वारा उपरोक्त पट्टे की बकाया राशि ₹41226/– की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा बकाया राशि ₹41226 की वसूली शीघ्रातिशीघ्र करने के उपरान्त इसे परिषद निधि में जमा करवायें तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19. मोबाइल कम्पनियों से टावरों की नवीनीकरण शुल्क की राशि ₹ 0.23 लाख की वसूली न करना :–

सरकार के आदेश संख्या डी0आई0टी0 (आई0टी) 2005 (मिसलिनियस) 2310 दिनांक 28–08–2006 के अर्न्तगत नगर परिषद सीमा के अन्दर मोबाइल कम्पनियों इन्सटालेषन चार्जिज ₹10,000 प्रति टावर तथा वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ₹5000 प्रति टावर की दर से वसूली तथा 5 वर्ष के पश्चात वार्षिक नवीनीकरण शुल्क में 10% की दर से वृद्धि का प्रावधान है।

अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद सीमा के अन्दर Airtel, Tata, Reliance तथा Vodafone Communication कम्पनियों द्वारा मोबाइल टावर स्थापित किये गये हैं। नियमानुसार सम्बन्धित कम्पनियों से Installation चार्जिज तथा नवीनीकरण शुल्क की वसूली की जानी थी। उक्त कुछ एक कम्पनियों में से अवधि 31–3–2015 तक 22500 की नवीनीकरण शुल्क की वसूली नहीं की गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

कम्पनी का नाम	अवधि जब से वसूली नही की	राशि बकाया में
भारती ऐयरटेल लि0	2014–15 (एक वर्ष)	6250
रिलायंस लि0	2012–13 से 2014–15 (तीन वर्ष)	16250
	कुल वसूल योग्य राशि=	**22500**

अतः नगर परिषद उक्त नवीनीकरण शुल्क की राशि ₹2250 की वसूली शीघ्र सुनिश्चित करे तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

20. कर्मचारियों को आवंटित रिहायशी मकानों की लाईसैन्स फीस की वसूली सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर न करने के कारण वेतन व भतों की राशि ₹0.03 लाख का अधिक भुगतानः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य विभाग (General Administration Department) के कार्यालय ज्ञापन संख्या GAD-D-3(C)-14-3/07 दिनांक 2–9–2010 के द्वारा सभी वर्गों के सरकारी आवासों की लाईसैन्स फीस को संशोधित कर दोगुणा कर दिया गया तथा माह 10/10 से सभी कर्मचारियों, जिन्हें सरकारी आवास आवंटित थे के वेतन से सकरारी आवासों की लाईसैन्स फीस की वसूली संशोधित दरों पर की जानी अपेक्षित थी, जबकि नगर परिषद द्वारा जिन कर्मचारियों को परिषद आवास आवंटित थे से संशोधित दरों पर लाईसैन्स फीस की वेतन से कटौती/वसूली नहीं की थी। इस विषय पर गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 17 में आपत्ति उठाई गई थी जिस पर परिषद द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्न कर्मचारियों के अतिरिक्त समस्त कर्मचारियों से वसूली कर ली गई थी।

क0 सं0	नाम	अवधि	संशोधित दर	जिस दर से कटौती की	कम वसूली	माह	कुल राशि ₹
1.	श्री मदन कुमार, कनिष्ट अभियंता	10/10 से 12/11	228/-	114/-	114/-	15	1710
2.	श्री भीम सेन कनिष्ठ अभियंता	3/12 से 3/13	228/-.	114/-	114/-	13	1482
							₹3192

अतः इन कर्मचारियों से लाईसैन्स फीस की वसूली न करने के बारे में स्थिति स्पष्ट करें। राशि ₹3192 की वसूली उचित माध्यम से शीघ्र करके आगामी अंकेक्षण में दिखायी जानी सुनिश्चित की जाये।

21. सक्ष्म अधिकारी की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्यों में अतिरिक्त मदों का निषपादन करवाने के कारण राशि ₹ 0.94 लाख का अनियमित भुगतानः—

नगर परिषद द्वारा निम्न निर्माण कार्यों में अतिरिक्त मदों का निष्पादन किया गया। परिषद द्वारा अतिरिक्त मदों के निषपादन करवाने से पूर्व सक्ष्म अधिकारी की स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण कार्यों में अतिरिक्त मदों का निषपादन बिना सक्ष्म अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये किया गया था। जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करें। अतिरिक्त मदों की स्वीकृति अब सक्ष्म अधिकारी से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखायी जानी सुनिश्चित की जाये।

589/11/14	Sh. Naresh Sharma	R/M of saryana path near manoj house theog.	60/48 & 52	cutting in earthwork and disposal of all excavated earth upto lead of 20mtr etc complete.	15.96 Cem	165	2633
			60/48&52	Providing Form work with Steel plates 3.15 mm thick melded with angle iron 30x30x5mm to gril a fair finish i/c cetring & Shutting.	30.50 Sq mtr.	230	7015
			60/53	15mm thick cement plaster in single coat on the rough side of brick concrete stone in cm 1:6 (1cement:6sand)	30.20 Sq mtr	106/05	3203
							12851
584-11/14	Sh. Naresh	R/m of path from	60/44&47	P/L 1:3:6 (1 cement: 2 sand: 6	11.61 Cem	4300	49923

	kumar.	Hem Chand house to Bhakram house & Patwari house in ward no 4 theog.		graded stone agg 40mm. Nominal size caseing etc. encluding cost of form work in foundation and plinth.			
			60/43&47	Cutting in earth work disposal of all excavated earth up to lead of 20mtr pick and jumper work.	16.5 cum	200	3300
			60/43&47	Providing form work with steel plates 3.15 mm thick.	30.83 Sq mtr.	250	7708
						Total	60931
434-12/13	Sh. Amit Sharma.	C/o Public urinals for male & female opp. court & SDM office, Theog Distt. Shimla	59/31	P/F Viterous China water closet European style w.c seet & seat cover paid seperatly.	1 no.	2750	2750
		--do--	59/31	P/F EWC seat & seat cover.	1 no.	3000	3000
			59/32	P/F PVC water storage tank capacity 500ltr.	2 no.	3000	6000
			59/32	P/F 12mm thick kit ply commercial panneled shutters with frame at 1st class devdar wood for door i/c bright finished/black enameled.	2.52 Sq mtr.	3200	8064
						Total	19814

22. **C/o Parking and Community Hall Near DAV School ward no-7 Theog Distt Shimla (Sh. C/o Parking in Ground and 1st floor only):-**

ठेकेदार का नाम	अनुबंध/आवंटन सं0	चलत बिल सं0	वाउचर सं0	माप पुस्तिका सं0
श्री रमेश हैटा	एन0सी0टी/वर्कस 2013–17/5–4–13	द्वितीय चलत बिल	558 से 562	61

(क) गलत गणना के कारण ठेकेदार को राशि ₹0.48 लाख का अधिक भुगतानः–

(1) अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 12/2 "Providing from work with steal plates 3.15 mm thick at column i.e Surwalls, column" की कार्यमात्रा 107.31 वर्ग भी का मापन माप पुस्तिका संख्या 61 पृष्ठ 3 पर निम्न प्रकार से था।

1x1x14.20x1.00=	14.20mtr.
1x1x9.90x$\frac{1.00+0.30}{2}$=	6.44mtr.
Column	
A4,A5=5x4x0.30x2.40=	14.40
D4,B5,C5=8x4x0.45x2.40=	34.60Sq mtr.
C1,C2,C3=10x2x22/7x0.25x2.40=	37.71Sq mtr.
Total	107.31Sq mtr.

जबकि इस कार्य मात्रा की प्रविष्टि Column की संख्या अनुसार निम्न प्रकार से की जानी अपेक्षित थी।

1x1x14.20x1.00=	14.20Sq mtr.
1x1x9.90x$\frac{1.00+0.30}{2}$=	6.44Sq mtr.
A4,A5=2x4x0.30x2.40=	5.76Sq mtr.
D4,B5,C5=3x4x0.45x2.40=	12.96Sq mtr.
C1,C2,C3=3x2 $\frac{22}{7}$x0.25x2.40=	22.63Sq mtr.
Total	61.99Sq mtr.

इस प्रकार संविदाकार को राशि ₹8157.60 का निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया।

माप पुस्तिका सं0 61 पृष्ठ 3 में मद में कार्य प्रमात्रा =	107.31Sq mtr.
जबकि Coloumn के अनुसार जितनी कार्य प्रमात्रा =	61.99 Sq mtr.
अतः अधिक भुगतान =	42.32 Sq mtrX ₹180 Per Sq mtr.=8157.60

(2) अनुबन्ध की मद सं0 13/5 "P/L C:C 1:1½:3 (1 Cement: 1½Sand: 3 Graded Stone aggregate 20mm normal size) and crossing complete including cost of form work in walls. column, pillars, posts etc" के लिए कार्य मात्र 22–12 घन मी0 का मापन पुस्तिका सं0 61 पृष्ठ 3 निम्न प्रकार से था।

Walls	
$1x1x14.20x\frac{0.60+0.40}{2}x1.20=$	7.1 Cum
$1x1x9.90x\frac{0.60+0.30}{2}x1.20=$	5-35 Cum
A4, A5= 5x1x0.30x0.30x2.40=	1.08 Cum
D4, B5, C5=8x1x.45x0.45x2.40=	3.88 Cum
C1,C2, C3 $10x1\ \frac{22}{7}x(0.25)^2x2.40=$	4.71 Cum
कुल मात्रा=	22.12 Cum

जबकि उक्त कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियां (Columns) की संख्या अनुसार निम्नलिखित की जानी अपेक्षित थी।

Walls	
$1x1x14.20x\frac{0.60+0.40}{2}x1.20=$	7.1 Cum
$1x1x9.90x\frac{0.60+0.30}{2}x1.20=$	5-35 Cum
A4, A5= 2x1x0.30x0.30x2.40=	0.43 Cum
D4, B5, C5 3x1x0.45x0.45x2.40=	1.45 Cum
C1, C2, C3 $3x\ \frac{22}{7}x(0.25)^2x2.40=$	1.41 Cum
कुल मात्रा=	15.74 Cum

अतः संविदाकार को निम्न विवरणानुसार राशि ₹33176 का अधिक भुगतान किया गया।

दत्त मात्रा	देय मात्रा	अन्तर
22.12	15.74	6.38Cem
	6.38 x 5200=	**33,176**

(3) मद "Providing mild Steel/ Tor Steel inforcement for R.C.C work including banding, binding and placing in position complete upto floor two leval:- tor steel के निषपादन की प्रविष्टि में Extra-in Bean 16mm@"

A2, B2, C2, D2, E2=	5x2x3.30=33 Sq mtr.
E2= 1x2x3.30=	6.60 Sq mtr.

दर्शायी गई जबकि इसमें Extra tor steel की पैमाइश (Measurement) की प्रविष्टि करते समय E2 की Measurement दो बार की गई प्रतीत होती है। इस प्रकार 6.60Sq mtr. टोर स्टील की Measurement अधिक दर्शाई गई। जिसके फलस्वरूप 6.60Sq mtr x1.58=10.43kg टोर स्टील अधिक दर्शाकर राशि ₹626 (10.43kg x₹60) का अधिक भुगतान किया, जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है।

(4) तृतीय चलत बिल में मद संख्या 12/6 माप पुस्तिका संख्या 61 पृष्ठ 13 में "Providing wild steel/tor steel re inforcement for coloumn from 1st floor to 2nd floor" के coloumn में निम्नलिखित Tor Steal लगाया गया दर्शाया था।

Column		
A5=20mm@=5x8x1.00=		40feet
A1 to A5=20mm@=5x1x8x2.90=		116.00feet
Striuppers 10mm@		
	5x16x0.87=	69-60mtr.
	5x16x1.03=	82.40mtr.
	20mm@ B1 to B4 = 10x12x1.00=	120mtr.
	C1 to C4 = 10x12x2.90=	348mtr.
	D1 to D2	
Striuppers 10mm@		
	10x16x1.20=	72mtr.
Column		
	E1, E2, E3, D3, D4, D5, C5 and B5=8x12x2.90=	278.40mtr.
Striuppers 10mm@		
	8x16x1.60=	204.80mtr.
	8x16x2x1.20	307.20mtr
Laps for coloumn		
	8x12x1	96mtr.

अतः Column E1, E2, E3, D3, D4, D5, C5 and B5 में 10mm@ के Striuppers में जो 8x16x2x1.20 लगाए गए दर्शाये गए वे गलत प्रतीत होते हैं, क्योंकि इससे पूर्व Striuppers

8x16x1.60 तथा इसके पश्चात 8x16x2x1.20 की जगह 8x16x2x1.20 के ही Striuppers लगाए जाने अपेक्षित थे, क्योंकि इससे पूर्व में column में अलग–अलग size के Single Striuppers लगाये गये दर्शाए गए थे अतः इस प्रकार Striuppers की प्रविष्टि में 8x16x2x1.60 के लगाकर संविदाकार को राशि ₹5714 का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Striuppers in Column	
E1, E2, E3, D3, D4, D5, C5 तथा B5=8No. 8x16x1.60=	204.80mtr.
8x16x2x1.20=	307.20mtr.
Total	**512.00mtr.**
जबकि Striuppers डालने थे	
8x16x1.60=	204.80mtr.
8x16x1.20=	153.60mtr.
Total	**358.40mtr.**
अधिक पैमाइश =512.00-358.40= 153.60x.62kg	=95.23
दर	=60% **प्रति कि0**
अधिक भुगतान =95.23kg x ₹60=₹5713.92	₹=5714.00

उक्त अनियमिताओं बारे कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, ठियोग को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 14 दिनांक 22.7.2015 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने बारे लिखा गया था, परन्तु कार्यकारी अधिकारी, द्वारा लेखा परीक्षा को अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। अतः कार्यकारी अधिकारी इस पैरे में दर्शायी अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट कर लेखा परीक्षा विभाग को अविलम्ब अवगत करवाए अन्यथा ठेकेदार को अधिक भुगतान की गई राशि ₹47674 की वसूली की जानी सुनिश्चित करें।

(ख) उक्त कार्य के अभिलेखों की जांच करने पर निम्न आपत्तियां/कमियां पाई गईः–

(1) उक्त निर्माण कार्य का अनुमान पत्र अधिशासी अभियंता, हिमाचल प्रदेश उद्योग विकास नियम लि0, शिमला (HPSIDC Ltd. Shimla.) से पत्र संख्या हि0प्र0 एस0आई0डी0सी0/इन्डज/28/85–3065 दिनांक 3.8.2012 द्वारा राशि ₹44,51,707 का तकनीकी तौर पर स्वीकृत करवाया गया था, परन्तु इस निर्माण पर होने वाले अनुमानित खर्च की प्रशासनिक स्वीकृति सम्बन्धित नस्ति में

नहीं पाई गई। अतः बिना प्रशासनिक स्वीकृति के निर्माण कार्य पर किए जाने वाले खर्च को नियमानुसार नियमित नहीं माना जा सकता। अतः निर्माण कार्य के खर्च की प्रशासनिक स्वीकृति अब प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें।

(2) उक्त निर्माण को करवाने के लिए नगर परिषद ने निविदाएं आमन्त्रित करने के लिए पत्र संख्या एम0सी0टी (टैंडर) 2013–302–10 दिनांक 6.2.2013 द्वारा गिरिराज समाचार पत्र में विज्ञापन किया, जिसके अन्तर्गत नगर परिषद में दो संविदाकारों की निविदाएं (टैंडर) प्राप्त हुए तथा न्यूनतम दर वाले संविदाकार श्री रमेश हेटा का चयन कर यह निर्माण कार्य राशि ₹47,71,187 में आवंटन पत्र एम0सी0टी0/वर्कस/2013 दिनांक 5.4.2013 को आवंटित कर दिया गया। निर्माण कार्य के आवंटन में निम्नलिखित कमियां पाई गईं।

नियमानुसार किसी भी निर्माण कार्य को संविदाकार को आवंटित करने से पूर्व उस निर्माण कार्य की दरों की जस्टीफिकेशन तैयार की जानी अनिवार्य होती है तथा कार्य का आवंटन जस्टीफिकेशन में आई कुल लागत के आधार पर जस्टीफिकेशन की दरों के अन्दर ही किया जाना चाहिए था, जबकि इस निर्माण कार्य का आवंटन ठेकेदार को दरें की जस्टीफिकेशन तैयार किए बिना ही कर दिया, जोकि वर्कस नियमों की सरासर अवहेलना है। अतः बिना जस्टीफिकेशन तैयार किए कार्य का आवंटन करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(3) इस निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए संविदाकार को 6 माह का समय दिया गया था। आवंटन पत्रानुसार यह कार्य दिनांक 20.4.2013 को आरम्भ व 19.10.2013 तक पूर्ण होना चाहिए था। जबकि कार्य अंकेक्षण सम्पत्ति तक पूर्ण नहीं हुआ था। यदि ठेकेदार निर्माण कार्य को तय सीमा अवधि में पूर्ण नहीं करता तो उसके विरूद्ध अनुबन्ध की धारा–2 के अनुसार कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी। अतः ठेकेदार के विरूद्ध निर्धारित समय में कार्य को पूर्ण न करने के लिए अनुबन्ध की धाराओं के अनुसार कार्रवाई न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23. TDS की राशि ₹0.17 लाख की कटौती न करने बारेः–

नगर परिषद ठियोग के अभिलेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए वार्ड 1,2,3 की सफाई का कार्य श्रीमति रोशनी देवी को मासिक दर ₹32,300 तथा वार्ड नं0 4, 5 व 6 का सफाई का ठेका श्रीमति मीना देवी को ₹36,800 मासिक दर पर आवंटित किया। वर्ष 2014–15 में इन्ही ठेकदारों को सफाई का कार्य राशि ₹37,000 तथा ₹43,000 में आवंटन किया गया। वर्ष 2013–14 में श्रीमति रोशनी देवी को राशि ₹3,70,550

तथा श्रीमति मीना देवी को राशि ₹4,28,550 का भुगतान किया गया तथा वर्ष 2014–15 में श्रीमति रोशनी देवी की ₹4,75,850 तथा श्रीमति मीना देवी ₹4,11,350 का भुगतान किया, लेकिन इन संविदाकारों को किए गए उक्त भुगतान से परिषद द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 194(सी) के अनुसार राशि ₹16,863 की कटौती नहीं की गई। जिसका विवरण निम्न प्रकार से था:–

क्र0 सं0	संविदाकार का नाम	वर्ष	भुगतान की गई राशि	कुल राशि	टी0डी0एस0 की अपेक्षित कटौती
1.	रोशनी देवी	2013–14	370550,475850	846400	8464
2.	मीना देवी	2014–15	428550,411,350	839900	8399
					16863

अतः उक्त ठेकेदारों से टी0डी0एस0 की राशि ₹16863 की कटौती न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24. बिना तत्काल आवश्यकता के बिजली के सामान राशि ₹ 0.09 लाख की खरीद कर निधि का अवरोधन करना:–

बिजली के सामान के स्टाक रजिस्टर का टैस्ट चैक करने पर पाया गया कि नगर परिषद ठियोग द्वारा दिनांक 28–10–14 को मैसर्ज कालरा हार्डवेयर एवं इलैक्ट्रिक स्टोर, दी माल शिमला से निम्न वर्णित बिजली के सामान की खरीद की, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक उपयोग नहीं किया गया।

फर्म का नाम/बिल सं0 एवं दिनांक	स्टाक रजिस्टर नं0 पृष्ट सं0	सामग्री का ब्यौरा	सं0	दर	कुल व्यय ₹ में
M/s Kalra Hardware & electric store Shimla bill no. 8083 dated 28-10-14	21/2	85 watt CFL Bulb 2 Pin.	10 No.	595/.	5950.00
M/s Kalra Hardware & electric store Shimla bill no. 8083 dated 28-10-14	21/38	SVL 250 watt	10 No.	300/.	3.000.00
				Total	**₹8950.00**

उक्त सामग्री का क्रय बिना आवश्यकता के करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना सं0 7 दिनांक 3–7–15 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे लेखा परीक्षा का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2. विद्युत सामग्री से सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर के पृष्ट 21/23 पर 10 No. SVL 70 watt M/S Kalra hardware & Electric store, the mall Shimla bill no-8083dated 28-10-14 द्वारा खरीद कर प्रविष्टि दर्शायी गई है जबकि इस बिल में इस मद की आपूर्ति नहीं की गई। अतः उक्त सामग्री भी खरीद किस फर्म से किस बिल के अर्न्तगत की, उसका विवरण स्टाक रजिस्टर में प्रविष्टि करके इस त्रुटि को ठीक किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

25. स्ट्रीट लाईट मुरम्मत से प्राप्त पुराने सामान की स्टॉक रजिस्टर में गणना न करनाः–

नगर परिषद की सीमा में स्ट्रीट लाईट की मुरम्मत के लिए सामान को नगर परिषद ठियोग जारी करता है। अतः बिजली से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया कि समय–समय पर नगर परिषद की सीमा में लगाई स्ट्रीट लाईट की मुरम्मत के लिए बिजली का सामान जारी किया गया था लेकिन मुरम्मत से प्राप्त पुराने सामान का रख–रखाव old part register में किया जाना अपेक्षित था। जबकि इस सम्बन्ध में अंकेक्षण के दौरान कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना सं0 8 दिनांक 3–7–15 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को स्थिति स्पष्ट करने तथा सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया था। परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में काई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद ने ऐसा कोई स्टाक रजिस्टर तैयार ही नहीं किया था। स्टाक रजिस्टर के अनुसार Street Lights की मुरम्मत के लिये जो सामान जारी किया और उसके बदले पुराना सामान नगर परिषद में जमा होना था। उनमें से कुछ एक का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

अवधि	उस सामग्री का ब्यौरा जो जारी की गई	मात्रा	स्टाक रजिस्टर नं0/पृष्ट सं0
16–7–12 से 29–10–12	Tube Choke 40 watt	100	20/पृ0 28 से 29
5–12–12 से 31–12–12	Tube Choke 40 watt	25	20/पृ0 51
8–7–13 से 17–8–13	Tube Choke 40 watt	200	20/पृ0 52 से 54
4–1–14 से 9–4–14	Tube Choke 40 watt	100	20/पृ0 79
30–10–14 से 1–4–15	Tube Choke 40 watt	225	21/पृ0 10 से 11
30–10–14 से 12–12–14	Tube Feature	20	21/पृ0 19
4–2–12 से 31–3–12	CFL 45/35 watt. TDH Fitting with out.CFL	20	20/पृ0 18
14–2–12 से 31–3–12	CFL 35/45 watts. Bulb for	25	20/पृ0 19

	fitting		
16—7—12 से 23—11—12	MVL(Mercury Vopour Lamp) 125 watt	25	20 / पृ0 36
3—8—13 से 6—6—13	Mercury Vopour Lamp	20	20 / पृ0 37
16—7—12 से 3—7—13	CFL bulbs 40 watt.	35	20 / पृ0 42 से 43
16—7—12 से 20—7—13	Street light Feature 40 watt.	30	20 / पृ0 44 से 45
16—7—12 से 20—7—13	Street light Feature 40 watt.	30	20 / पृ0 44 से 45
16—7—12 से 20—7—13	CFL 85 matt with fitting.	24	20 / पृ0 46 से 47
5—12—12 से 6—1—13	CFL Tube Lamp 18 watt.	50	20 / पृ0 59
5—12—12 से 8—1—13	CFL Choke 36 watt.	16	20 / पृ0 61
5—12—12 से 8—1—13	Capector MVL-125 watt.	30	20 / पृ0 63
5—12—12 से 6—8—13	CFL bulb 85 watt.	24	20 / पृ0 67
5—2—12 से 6—1—13	Stater CFL 36 watt.	50	20 / पृ0 68
6—1—14 से 31—3—14	CFL 85 watts	10	20 / पृ0 82
6—1—14 से 31—3—14	MVL Choke 125 watts.	10	20 / पृ0 83
14—1—14 से 9—4—14	MVL 125 mwatts.	10	20 / पृ0 84
14—1—14 से 4—5—14	PVC wire 6mm.	10	20 / पृ0 85

अतः पुराने सामान प्राप्ति के सम्बन्ध में अंकेक्षण के दौरान अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और गत वर्षों में जितनी भी सामग्री Street Lights मुरम्मत में जारी की उसके बदले यदि सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा पुराना सामान जमा नहीं किया गया हो तो पुराने सामान की Re-Sale कीमत का निर्धारण कर वसूली सुनिश्चित की जाये।

26. बिजली के सामान के स्टाक रजिस्टर में पाई त्रुटियों के बारे में :—

नगर परिषद ठियोग के बिजली के सामान के स्टाक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि स्टाक रजिस्टर का रख—रखाब नियमानुसार नहीं किया गया था। स्टाक रजिस्टर के रख—रखाब में पाई गई कमियों का विवरण टिप्पणी कालम में दिया गया है। अतः इन त्रुटियों का सामाधान करना सुनिश्चित किया जाए।

स्टाक रजिस्टर सं0 एवं पृष्ट सं0	सामग्री का ब्यौरा	अवधि	मात्रा	टिप्पणी
20/27	Tube Rod 40 watt Bajaj make.	-	200 no.	यह प्रविष्टी स्टाक रजिस्टर के

				पृष्ट 27 में M/s Kalra hardware & electric store, the mall Shimla से बिल सं0 7828 दिनांक 28–5–13 को खरीद की। परन्तु इस सामग्री को जारी नहीं किया गया, जोकि स्टाक रजिस्टर के पृष्ट 27 पर की प्रविष्टि के अनुसार राशि ₹7100 की है।
20/29	Tube Choke-40 watt Philips.	24-9-12 to 29-10-12	18 no.	स्टाक रजिस्टर अनुसार यह सामग्री शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बदलने हेतु जारी की गई दर्शायी परन्तु यह किस द्वारा किस कर्मचारी को जारी की उसके न तो स्टाक रजिस्टर में हस्ताक्षर है और न ही जारीकर्ता का
20/31	Tube Starter 40 watt.	24-9-12 to 23-10-12	13 no.	यथोपरि
20/32 & 33	6 mm wire	15-10-12 to 4-6-13	518 mtr	यथोपरि
20/35	Flexible wire 7/029	15-10-12 to 13-12-12	88 mtr	यथोपरि
20-36/37	MVL (mercury vapour lamb) 125 watt	25-9-12 to 6-6-13	38 no.	स्टाक रजिस्टर में की प्रविष्टि अनुसार यह सामग्री शहर के विभिन्न–विभिन्न क्षेत्रों की स्ट्रीट लाईट को ठीक करने को जारी की, जिसका ब्यौरा स्टाक रजिस्टर में दिा गया। परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि यह सामग्री किस द्वारा जारी की और किसको जारी की उससे सम्बन्धित कोई भी हस्ताक्षर नहीं है।
20/38-39	MVL choke 125 watt	25-9-12 to 6-6-13	38 no.	यथोपरि
20/40	Tube side holder.	29-10-12 to 7-12-12	24 no.	यथोपरि
20/41	Tube side holder.	---	50 no.	यह प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर के पृष्ट 41 से M/s kalra hardware & electric store Shimla से बिल संख्या 7828 दिनांक 28–5–13 को खरीद के अर्न्तगत की। परन्तु इस सामग्री को जारी नहीं किया गया, जबकि इसके पश्चात खरीद की गई इस मद को

				जारी किया गया दर्शाया गया। जारी न की गई सामग्री बिल के अनुसार रू ₹250 की है।
20/48-43	CFL Bulb 45 watt.	3-10-12 to 3-7-13	17 no.	स्टाक रजिस्टर में की प्रविष्टि अनुसार यह सामग्री शहर के विभिन्न–विभिन्न क्षेत्रों की स्ट्रीट लाईट को ठीक करने के लिए जारी की, जिसका ब्यौरा स्टाक रजिस्टर में दिया गया। परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि यह सामग्री किसके द्वारा किसको जारी की गई। कोई विवरण व हस्ताक्षर नहीं है।
20/44	Street Light Feature 40 watt.	18-7-13 to 20-7-13	20 no.	स्टाक रजिस्टर अनुसार यह सामग्री किस द्वारा किसको जारी की गई का कोई भी विवरण व हस्ताक्षर स्टाक रजिस्टर में नहीं है।
20/26	CFL 85 watt with fitting	16-7-12 to 20-7-13	24 no.	यथोपरि
20/48-49	LVC Tape Roll	24-9-12 to 21-7-13	96 no.	यथोपरि
20/51-54	Tube choke 40 Watt.	6-12-12 to 13-12-12 & 8-7-13 to 17-8-13	225 no.	स्टाक रजिस्टर में की प्रविष्टि अनुसार अवधि 6–12–12 से 13–12–12 तक जारी 25 no choke Sh. kishori lal को जारी की गई परन्तु इसके प्राप्ति हस्ताक्षर स्टाक रजिस्टर में नहीं है। इसके अतिरिक्त दिनांक 8–7–13 से 17–8–13 तक 200 no. Tube choke जारी की गई है परन्तु किसको जारी की का विवरण नहीं है और न ही किसको जारी किये उसके हस्ताक्षर है।
20/55-58	Tube Starter 40 Watt.	5-12-12 to 14-12-12 & 8-7-13 to 17-8-13	250 no.	यथोपरि
20/59	CFL Tube lamb 18 Watt.	5-12-12 to 6-1-13	20 no.	यथोपरि
20/61	CFL choke 36 Watt.	5-12-12 to 8-1-13	16 no.	स्टाक रजिस्टर में की प्रविष्टि में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है।
20/63	MVL capetor 125 Watt.	5-12-12 to 8-1-13	30 no.	यथोपरि

20/67	CFL Bulb 85 Watt.	5-12-12 to 5-1-13 & 1-8-13 से तिथि नहीं दशायी	5 no.	इस अवधि में उक्त सामग्री श्री किशोरी लाल को जारी की दर्शायी गई है, जबकि प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं लिये गए। इस अवधि में सामग्री किसको जारी की न तो उसका नाम ही स्टाक रजिस्टर में लिखा और न ही हस्ताक्षर लिये तथा दिनांक 6—8—13 के पश्चात जारी सामग्री किस—किस तिथि को जारी की नहीं दर्शाया गया है।
20/68	Starter CFL 36 Watt.	5-12-12 to 6-1-13	50 no.	स्टाक रजिस्टर में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं करवाये।
20/71	Flexible wire 40/76.	5-12-12 to 8-1-13	90mtr.	यथोपरि
20/75	Holder for MVL 125 Watt.	5-12-12 to 8-1-13	10 no.	यथोपरि
20/77	Tube Patti electric Arch	5-12-12 to 8-1-13	5 no.	यथोपरि
20/78-86	Tube Rod 40 Watt Bajaj	4-1-14 to 6-5-14	200 no.	स्टाक रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों को न तो नियमानुसार किया गया और यह सामग्री किसको जारी की गई उस कर्मचारी का नाम नहीं लिखा और नहीं हस्ताक्षर लिये गए।
20/79	Tube choke 40 watt Bajaj	4-1-14 to 9-4-14	100 no.	यथोपरि
20/80	Tube Starter 40 watt.	4-1-14 to 9-4-14	200 no.	यथोपरि
20/81	Tube Feature 4x40 watts.	4-1-14 to 9-4-14	20 no.	यथोपरि
20/82	CFL 85 watts.	6-1-14 to 31-3-14	10 no.	यथोपरि
20/83	MVL choke 125 watts.	6-1-14 to 31-3-14	10 no.	यथोपरि
20/84	MVL 125 watts.	14-1-14 to 9-4-14	10 no.	यथोपरि
20/85	PVC wire 6mm 10 coil.	14-1-14 to 4-5-14	4 no.	इसके साथ 10 No. Coil Stock register अनुसार ली गई। जिसमें 6 No. शहर के क्षेत्रों को जारी की गई दर्शायी तथा 4 No. वकाया में दर्शायी गई। परन्तु नए रजिस्टर में बकाया मद को नहीं लिया गया।

21/2	Tube Rods.	29-1-14 to 9-4-15	189.	स्टाक रजिस्टर में जिस कर्मचारी को सामग्री दी गई उस कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं लिये गए।
21/105	Tube Choke.	5-12-14 to 1-4-15	166.	यथोपरि
21/13	Tube Starter.	5-12-14 to 9-4-15	86 no.	यथोपरि
21/17	Tube Holder.	27-11-14 to 9-4-15	88 no.	यथोपरि
21/19	Tube Feature.	6-12-14 to 12-12-14	4 no.	यथोपरि
21/25	wire 7/29	5-12-14 to 21-3-15	98 mtr.	यथोपरि
21/26	Flexible wire.	5-12-14 to 9-4-15	59 mtr.	यथोपरि
21/30	Bulb 85 watt with	30-10-14 to 16-4-15	32 no.	यथोपरि
2032	Capaciator for 125 watt MV.	3-1-15 to 8-4-15	13 no.	यथोपरि
21/34	Chowk 125 watt MV.	3-1-15 to 8-4-15	14 no.	यथोपरि
21/36	PVC Tupe roll.	30-10-14 to 23-1-15	19 no.	यथोपरि
21/40	Bulb 125 watt.	3-1-15 to 8-4-15	14 no.	यथोपरि

उपरोक्त के अतिरिक्त बिजली के सामान की स्टाक प्रविष्टियां वास्तविक प्राप्ति से कम की गई थी।

बिल सं0 दिनांक	फर्म का नाम	मद का ब्यौरा	मात्रा	स्टाक रजिस्टर सं0 एवं पृष्ट	स्टाक रजिस्टर में दर्ज मात्रा	कम प्रविष्टि	दर	राशि
80-83/ 28-10-14	M/s Kalra Hardware & electric Store the mall shimla.	Tube Starter.	250	21/13	200.	50 no.	10	500/-
80-83/ 28-10-14	M/s Kalra Hardware & electric Store the mall Shimla.	PVC Tape roll.	60 ie 2--- @30 no.	21/36	30.	30 no.	10	300/-
								800/-
							+13.75%=	110/-
								990.00

अतः राशि 990.00 की वसूली सम्बन्धित से करना सुनिश्चित किया जाए।

27. वाहन सं0 HP-09-7637 की लॉग बुक की कमियों बारेः–

हिमाचल प्रदेश Repair & Maintenance of Govt. Vehicle में दिये नियमों/प्रावधानों के अर्न्तगत वाहन की लौग बुक के आरम्भ में वाहन के तेल टैक की Capacity, तेल की औसत खर्च तथा वाहन की लौग बुक में कुल कितने पृष्ट हैं से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जाना अनिवार्य है। अंकेक्षण के दौरान वाहन सं0 HP-09-7637 की लौंग बुक के टैस्ट चैक के दौरान पाया गया कि सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन की लौग बुक में ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था। जोकि एक गम्भीर अनियमित्तता है। अतः वाहन की लौग बुक में अपेक्षित प्रमाण पत्र न देने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इन अनिवार्य प्रमाण पत्रों को वाहन की लौग बुक में दिया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा आगामी अंकेक्षण के दौरान इसका सत्यापन करवाया जायें।

27.1. निम्न विवरणानुसार वाहन में समय–समय पर तेल, कोलेट, ब्रेक ऑयल आदि डलवाया गया तथा जिसकी प्रविष्टि लौग बुक में दर्ज थी। नियमानुसार वाहन में तेल आदि भरवाने हेतु कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी Requesition अनिवार्य थी ताकि वाहन में तेल आदि को Requesition के अनुसार डलवाया जाये। अंकेक्षण को लेखा परीक्षा अधियाचना सं0 12 दिनांक 13–7–15 द्वारा सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। अंकेक्षण में अभिलेख न प्रस्तुत करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जायें।

बिल सं0	दिनांक	डलवाये गये तेल का ब्यौरा
शून्य	3.4.13	80 लीटर+एक लीटर m.oil.
शून्य	3.5.13	70 लीटर+एक लीटर m.oil.
शून्य	21.5.13	70 लीटर+एक लीटर m.oil.
2191	12.6.13	75 लीटर+2लीटर m.oil
2395	5.7.13	75 लीटर+एक लीटर m.oil
2749	29.7.13	80 लीटर+एक लीटर m.oil
2904	19.8.13	60 लीटर+एक लीटर m.oil +एक लीटर Break oil
3093	10.9.13	80 लीटर+2 लीटर m.oil
3402	4.10.13	60 लीटर+एक लीटर m.oil +3B.m
3651	30.10.13	70 लीटर
3814	20.11.13	70 लीटर

82	9.12.13	80 लीटर+2 लीटर m.oil.
235	4.1.14	80 लीटर+2 लीटर m.oil.
400	27.1.14	80 लीटर+2 लीटर m.oil.
659	13.2.14	50 लीटर
917	8.4.14	70 लीटर
1227	8.4.14	80 लीटर+3 लीटर m.oil+11.1 g.
_	1.5.14	80 लीटर+3 लीटर m.oil+½. L Break oil.
1483	28.5.14	70 लीटर+2 लीटर m.oil.
2150	_	15 लीटर m.oil + 3 Coll
2146	25-6-14	80 लीटर+1 लीटर m.oil.
2361	7-7-14	70 लीटर+1 लीटर m.oil.
2685	26-7-14	80 लीटर+1 लीटर m.oil.
2851	12-8-14	70 लीटर+1 लीटर m.oil + 3+ High Drohn
Nil	25-8-14	70 लीटर+1 लीटर m.oil
Nil	9-16-14	75 लीटर+1 लीटर m.oil
3297	9-10-14	80 लीटर+2 लीटर m.oil
3415	26-10-14	70 लीटर+2 लीटर m.oil+3 लीटर
3516	11-11-14	80 लीटर+1 लीटर m.oil+1 लीटर High
34	27-11-14	70 लीटर+1 लीटर m.oil+1 लीटर
166	6-12-14	70 लीटर+1 लीटर m.oil+500grm
290	3-1-15	70 लीटर+2 लीटर m.oil
412	22-1-15	70 लीटर+1 लीटर m.oil
523	4-3-15	70 लीटर+2 लीटर moil+½ area
412	24-3-15	70 लीटर+2 लीटर moil

27.2. निम्नलिखित विवरणी अनुसार जो तेल वाहन में डलवाया गया है जिसकी जो प्रतिलीटर तेल की खपत दर्शायी गई है। उसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। क्योकि लौग बुक में वाहन की औसत खपत प्रतिलीटर कितने कि0मी0 है, का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था।

दिनांक	वाहन द्वारा तय दूरी	कुल दूरी	पिछला बकाया तेल	माह के दौरान जितना तेल लगाया	कुल तेल	खपत	बकाया	तेल की खपत प्रतिलीटर
3-4-13 से	63584 से	354	4	80	84	70	14	5.06
3-4-13 तक	63938							
7-5-13 से	63938 से	398	14	140	154	100	54	3.98
26-5-13 तक	64336							
7-5-13 से	64336 से	413	54	75	129	104	25	3.98
28-6-13 तक	64749							
27-6-13 से	64749 से	375	25	75	100	94	6	3.98
27-7-13 तक	65124							
27-7-13 से	65124 से	459	6	140	146	116	30	3.96
31-8-13 तक	65583							
29-9-13 से	65583 से	367	30	80	110	91	19	4.03
28-9-13 तक	65950							
28-9-13 से	65950 से	312	19	60	79	78	1	4.00
28-10-13 तक	66262							
30-10-13 से	66262 से	359	0	140	140	89	51	4.03
28-11-13 तक	66621							
9-11-13 से	66621 से	508	51	80	131	128	03	3.96
3-1-14 तक	67129							
3-1-14 से	67129 से	478	3	160	163	121	42	3.95
6-2-14 तक	67607							
------13 से	67607 से	534/455	42	120/1150	162	134	28	3.98
31-3-14 तक	68141	7						
------13 से	68141 से	350	28	80	108	92	16	3.80
21-4-14 तक	68491							
------13 से	68491 से	431	16	150	166	109	57	3.95
3-6-14 तक	68922							
------13 से	68922 से	403	57	80	137	101	36	3.99
30-6-14 तक	69325							

------13 से 28-7-14 तक	69325 69738	से	413	36	150	186	104	82	3.97
------13 से 1-9-14 तक	69738 70363	से	625	82	140	22	159	63	3.93
2-9-14 से 6-10-14 तक	70363 70853	से	490	63	75	138	124	14	3.95
7-10-14 से 3-11-14 तक	70853 71360	से	507	14	150	164	127	37	3.
4-11-14 से 30-11-14 तक	71360 71828	से	468	37	150	187	118	69	3.
1-10-14 से 30-12-14 तक	71828 72278	से	450	69	70	139	118	21	3.
31-12-14 से 27-1-15 तक	72278 72597	से	319	21	70	91	81	10	3.
12-1-15 से 28-2-15 तक	72597 72908	से	311	10	70	80	80	0	3.80
4-3-15 से 2-4-15 तक	72908 73277	से	369	0	140	140	94	46	3.9

27.2.1. इसके अतिरिक्त वाहन चालक द्वारा तेल की खपत निकालते समय दिनांक 28–9–13 से दिनांक 28–10–13 को एक लीटर तेल बकाया में दर्शाया गया, जिसे आगामी अवधि में डलवाये गये तेल में जमा नहीं किया। इस प्रकार चालक द्वारा एक लीटर तेल को लौग बुक में कम लिया गया। जिसकी वसूली सम्बन्धित चालक से करके नगर परिषद निधि में जमा की जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

27.2.2. दिनांक 30–10–13 से 28–11–13 तक की तेल खपत के पश्चात बकाया में 0 (Zero) तेल दर्शाया, जबकि बकाया में शून्य तेल लौग बुक में दिखाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। क्योंकि बकाया में शून्य तेल दर्शाने पर वाहन में तेल न होने पर वाहन को तेल डलवाने के स्थान पर कैसे ले लाया गया।

28. **लद्यु आपित्त विवरणिकाः—** लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर ही कर दिया गया अतः लद्यु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

29. **निष्कर्षः—** लेखों के रखरखाव में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर समुचित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए।

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः—v(34)/2012 —फिन (एल0ए0)—खण्ड—1—498—499, दिनांक 21.01.16 शिमला 09.
प्रतिलिपिः—

1. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश—171002 कौ पैरा 1(ख) पर वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत 2. सचिव, नगर परिषद ठियोग, जिला शिमला हिमाचल प्रदेष को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट "अ"

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/13 से 3/15 के पैरा/पैरों में वर्णित गत प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की नवीनतम स्थितिः–

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 06/73 से 03/74

1. पैरा 23(ई) अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/79 से 03/81

1. पैरा 10(ए) अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/84 से 03/85

1. पैरा 16 अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 03/94

1. पैरा 14 अनिर्णीत

(5) संयुक्त निदेशक श्री बजीर चन्द शर्मा की निरीक्षण रिपोर्ट

1. पैरा 5 निर्णीत (पैरे में दिये गये उत्तर व आधार पर)
2. पैरा 9 अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/97 से 03/2004

1. पैरा 12 अनिर्णीत
2. पैरा 13 अनिर्णीत
3. पैरा 15(1) अनिर्णीत
4. पैरा 19(1) अनिर्णीत
5. पैरा 19(2) अनिर्णीत
6. पैरा 19(3) अनिर्णीत
7. पैरा 20 अनिर्णीत
8. पैरा 23 अनिर्णीत
9. पैरा 25(4) अनिर्णीत
10. पैरा 25(6) अनिर्णीत
11. पैरा 25(10) अनिर्णीत
12. पैरा 30(1) अनिर्णीत
13. पैरा 30(2) अनिर्णीत

14.	पैरा 30(3)	अनिर्णीत	
15.	पैरा 30(4)	अनिर्णीत	
16.	पैरा 30(5)	अनिर्णीत	
17.	पैरा 30(6)	अनिर्णीत	
18.	पैरा 30(7)	अनिर्णीत	
19.	पैरा 30(8)	अनिर्णीत	
20.	पैरा 32(1)	अनिर्णीत	
21.	पैरा 32(2)	अनिर्णीत	
22.	पैरा 32(3)	अनिर्णीत	
23.	पैरा 32(4)	अनिर्णीत	
24.	पैरा 32(5)	अनिर्णीत	
25.	पैरा 32(6)	अनिर्णीत	
26.	पैरा 32(7)	अनिर्णीत	
27.	पैरा 32(8)	अनिर्णीत	
28.	पैरा 32(9)	अनिर्णीत	
29.	पैरा 32(10)	अनिर्णीत	
30.	पैरा 32(11)	अनिर्णीत	
31.	पैरा 33	अनिर्णीत	
32.	पैरा 35(1)	अनिर्णीत	
33.	पैरा 35(2)	अनिर्णीत	
34.	पैरा 36(3)	अनिर्णीत	
35.	पैरा 37(2)	अनिर्णीत	

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/04 से 03/2007

1.	पैरा 2(6)	निर्णीत	ब्याज की राशि ₹3624 को बैंक द्वारा नगर परिषद खाते में जमा कर दिया, जिसकी सत्यापन रोकड़वही तथा बैंक खाते में की गई रोकड़वही को कार्यकारी अधिकारी से हस्ताक्षर करा दिया

			गया।
2.	पैरा 2(8)	निर्णीत	
3.	पैरा 4(2)(क)(ख)	अनिर्णीत	
4.	पैरा 4(4)(क)	अनिर्णीत	
5.	पैरा 4(4)(ख)	अनिर्णीत	
6.	पैरा 4(4)(ग)	अनिर्णीत	
	पैरा 4(7)(1)	अनिर्णीत	
7.	पैरा 4(7)(2)	अनिर्णीत	
	पैरा 4(8)	अनिर्णीत	
8.	पैरा 5(1)	निर्णीत	रसीद सं0 4/17 दिनांक 19–3–14 को राशि ₹10457 की वसूली की सत्यापन उपरान्त।
9.	पैरा–5(3)(4)	निर्णीत	मानदेय का भुगतान नगर परिषद द्वारा दूसरे विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके द्वारा दी सेवाओं के लिए स्वीकृत बजट में दिये प्रावधान के अर्न्तगत तथा नगर परिषद द्वारा पारित दरों के अनुसार किया गया के उत्तर के आधार पर।
10.	पैरा 6(1)	अनिर्णीत	
11.	पैरा 6(2)	अनिर्णीत	
12.	पैरा 6(3)	अनिर्णीत	
13.	पैरा 6(4)	अनिर्णीत	
14.	पैरा 6(5)	अनिर्णीत	
15.	पैरा 6(6)	अनिर्णीत	
16.	पैरा 7(1)	अनिर्णीत	
17.	पैरा 7(2)	अनिर्णीत	
18.	पैरा 7(3)	अनिर्णीत	
19.	पैरा 7(4)	अनिर्णीत	
20.	पैरा 7(6)	अनिर्णीत	
21.	पैरा 7(7)	अनिर्णीत	

22.	पैरा 7(8)	अनिर्णीत	
23.	पैरा 7(9)	अनिर्णीत	
24.	पैरा 7(10)	अनिर्णीत	
25.	पैरा 7(11)	अनिर्णीत	
26.	पैरा 7(12)	अनिर्णीत	
27.	पैरा 7(13)	अनिर्णीत	
28.	पैरा 7(14)	अनिर्णीत	
29.	पैरा 8(क)	अनिर्णीत	
30.	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत	

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/07 से 03/2011 तक

1.	पैरा 6(5)	अनिर्णीत	
2.	पैरा 6(5)(1)	अनिर्णीत	
3.	पैरा 6(5)(2)	अनिर्णीत	
4.	पैरा 6(6)	अनिर्णीत	
5.	पैरा 7(1)	अनिर्णीत	
6.	पैरा 7(2)	अनिर्णीत	
7.	पैरा 8(1से 3)	अनिर्णीत	
8.	पैरा 9	अनिर्णीत	
9.	पैरा 10(1)	अनिर्णीत	
10.	पैरा 10(2)	अनिर्णीत	
11.	पैरा 12	अनिर्णीत	
12.	पैरा 13	अनिर्णीत	
13.	पैरा 15	अनिर्णीत	
14.	पैरा 16	निर्णीत	मानदेय बजट में दिये प्रोविजन तथा नगर परिषद के अनुसार दिया गया।
15.	पैरा 17	आशिक निर्णीत	(राशि ₹284 की वसूली श्री वलिन्दर सिंह लिपिक से रसीद संख्या 43/39 दिनांक 13–6–13 को वसूली कर ली।)
16.	पैरा 18	अनिर्णीत	
17.	पैरा 19(1)	अनिर्णीत	
18.	पैरा 20	अनिर्णीत	

19.	पैरा 21	अनिर्णीत	
20.	पैरा 23	अनिर्णीत	
21.	पैरा 23(1)	अनिर्णीत	
22.	पैरा 24(1) व (2)		
23.	पैरा 25	आंशिक निर्णीत	(श्री रोहित वर्मा संविदाकार से राशि ₹208 की वसूली की प्रविष्टि उपरान्त)
24.	पैरा 26	अनिर्णीत	
25.	पैरा 27	अनिर्णीत	
26.	पैरा 28	अनिर्णीत	
27.	पैरा 29	अनिर्णीत	
28.	पैरा 30	अनिर्णीत	
29.	पैरा 31(1 व 2)	अनिर्णीत	

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/11 से 03/2013 तक

1.	पैरा 2	निर्णीत	
2.	पैरा 3	निर्णीत	
3.	पैरा 4	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शायी गई है।
4.	पैरा 4(1)	निर्णीत	यथोपरि
5.	पैरा 4(2)	निर्णीत	यथोपरि
6.	पैरा 4(3)	अनिर्णीत	
7.	पैरा 5	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है।
8.	पैरा 6	निर्णीत	यथोपरि
9.	पैरा 6(1)	निर्णीत	यथोपरि
10.	पैरा 6(2)	अनिर्णीत	
11.	पैरा 6(3)	अनिर्णीत	
12.	पैरा 7	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है।
13.	पैरा 7(1)	अनिर्णीत	
14.	पैरा 7(2)	अनिर्णीत	

15.	पैरा 8	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है।
16.	पैरा 8(1)	निर्णीत	पैरे की राशि की वसूली जी–8 रजिस्टर के 24/32 दिनांक 13.5.2014 द्वारा कर ली गई।
17.	पैरा 8(2)	अनिर्णीत	
18.	पैरा 8(3)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है।
19.	पैरा 9	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है।
20.	पैरा 10	अनिर्णीत	
21.	पैरा 11	अनिर्णीत	
22.	पैरा 12	अनिर्णीत	
23.	पैरा 13	अनिर्णीत	
24.	पैरा 14	अनिर्णीत	
25.	पैरा 15	अनिर्णीत	
26.	पैरा 16	अनिर्णीत	
27.	पैरा 17	निर्णीत	राशि ₹15152 में से राशि ₹11960 के वसूली वेतन माह 3/14 देय 4/14 में से की गई तथा श्री भीमसेन कनिष्ठ अभियन्ता तथा श्री मदन कुमार कनिष्ठ अभियन्ता से राशि क्रमशः₹1482 तथा ₹1710 वसूल किये जाने शेष हैं जिसको वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 10 में पुनः प्रारूपित किया।
28.	पैरा 18	अनिर्णीत	
29.	पैरा 19	अनिर्णीत	
30.	पैरा 20	अनिर्णीत	
31.	पैरा 21	निर्णीत	
32.	पैरा 22	निर्णीत	